[21/12/2022]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1080 प्रश्न सं. [क्र. 1080]

परिशिष्ट - अ

प्रश्नांश अनुसार मौजा मझबोगवा:- की आराजी न0 11 रकवा 8.55 एकड वर्ष 1958-59 की खतौनी में शासकीय एवं खतौनी के कालम नं0 04 में बाबूलाल तनय वंशी महापात्र दर्ज अभिलेख है उक्त आराजी वर्तमान समय में 10 बटांको में स्थापित है जिसमें आराजी नं0 11/1 रकबा 1.214, आराजी 11/2/1 रकबा 0.302 एकड, तथा आराज11/2/2 रकबा 0.565 म0प्र0 शासन दर्ज की जा चुकी है। आराजी नं0 39/2/क रकबा 0.86, वर्ष 1958-59 में म0 प्र0 शासन दर्ज अभिलेख है। आराजी नं0 40 रकबा 0.38 एवं आराजी नं0 42 रकबा 1.79 एकड लाला वल्द जानकी महापात्र वर्ष 1958-59 कि खतौनी में दर्ज है आराजी नं0 में लाल स्याही से गोला लगा है। उक्त आराजियां मौजा मझगवां की नही है। मझबोगवां की है। जिसकी जांच गठित दल द्वारा की जाकर नायब तहसीलदार वृत सोहावल के पत्र क्रमांक 610/2021 दिनांक 17.02.2021 अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर की ओर भेजा गया। तथा अनु0अधि0रघुराजनगर द्वारा अपने प्रतिवेदन सहित दिनांक 19.02.2021 को न्यायालय कलेक्टर सतना की ओर प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 0014/निगरानी/2021-22 द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर पेशी दिनांक 20.12.2022 जबाव हेतु नियत है। मौजा बम्हनगंवा पट0 हल्का-बरदाडीह:- कि आराजी नं0 32 रकबा 3.22 एकड प्रारंभिक खसरा वर्श 1963-64 में म0प्र0 शासन दर्ज अभिलेख है। वर्तमान समय पर 33 बटांको पर स्थापित है आराजी नं0 32/1 रकबा 0.129 शासकीय डायवर्सन रोड षेश बटांक निजी भूमिस्वामी स्वत्व में विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणो के माध्यम से स्थापित हुए थे। प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच दल का गठन कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अनु0अधि0रघु0 के प्रकरण क्रमांक 46/अ74/2020-21 से पंजीबद्ध किया जाकर विधि संगत आदेश पारित किया गया। पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 में शिकायत तथ्यहीन होने से प्रकरण निरस्त किया जा चुका है। मौजा सतना- की आराजी नं0 138 रकबा 1.92 एकड वर्ष 1958-59 कि खतौनी में म0 प्र0 षासन दर्ज अभिलेख है वर्तमान कि स्थिति में आराजी नं0 138/1 रकबा 1.41 एकड म0प्र0 शासन आबादी दर्ज अभिलेख है आराजी नं0 138/2 रकबा 0.51 एकड विभिन्न न्यायालयीन डिक्रियों एवं न्यायालय कलेक्टर सतना के न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेशों से कई बटांको में भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है मौजा अमौधाकलां- तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहावल पटवारी हल्का अमौधकला ग्राम अमौधाकला के आराजी क्रमांक 751/1 रकवा 39.91 एकड म0प्र0 शासन, 751/2 रकवा 0.010 एकड एवं 751/3 रकवा 0.010 ए0 तथा 751/4 रकवा 0.015ए0 भूमि-स्वामी स्वत्व में वर्ष 1958-59 के बंदोबस्त खतौनी में दर्ज अभिलेख हैं। वर्तमान स्थिति में उक्त शासकीय आराजी 751/1 में स्कूल एवं विद्युत मण्डल का थर्मल पॉवर स्थापित है। भूमि का रकवा 7.31 ए0में पूर्व से कई बटांको में भूमि-स्वामी स्वत्व में दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त आराजी के जांच हेतु अनु0अधि0रघु0के आदेश क्रमांक 638 दि. 05.09.2020 द्वारा जांच दल का गठन किया गया था। गठित जांच दल द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को प्रेषित किया गया। तदउपरांत अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1174 / अनु0अधि0/2021 दिनांक 15.02.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदंन तैयार कर न्यायालय कलेक्टर सतना की ओर भेजा जा चुका है। कलेक्टर न्यायालय सतना के प्रकरण क्रमांक 21/स्वप्रेरणा/निगरानी /2021-22 से पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में पेशी दिनांक 26.12.2022 तर्क हेतु नियत है। प्रकरण में पारित आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी। मौजा ग्राम लिलौरी पट0 हल्का पतौडा- आराजी नं0 307 रकबा 73.54 एकड वर्ष 1958-59 की खतौनी में दर्ज अभिलेख है वर्तमान समय में 18 बटांको पर भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है उक्त आराजी कि जांच संबंधित रा0निरीक्षक/पटवारी से कराई जा रही है। ग्राम मौजा

डिलौरा- आराजी 775/1 रकबा 14.01 एकड वर्ष 1958-59 कि खतौनी में श्री महन्त बद्रीदास जी सा0 इटौरा दर्ज अभिलेख है उक्त आराजी वर्तमान समय पर कई बटांको पर भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है। उक्त आराजी वर्श 1958-59 की खतौनी में ही भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज अभिलेख है। क़िसी मंदिर/ म0प्र0 शासन के नाम दर्ज नही है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग ~~म.प्र.~~ 2